

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. No ...B/4.1350-C.H.T) Jabalpur, dt07/08/2018.
III-6-4/57

The Copy of Notification No. F.No. 1-1-88/21-B(1)3597/18 dated 04-08-2018 received from the Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, is forwarded to :-

- 01 The District & Sessions Judges,
- 02 The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A.)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/V II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I.LR.) /OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. D.R. Confdl/S.O.(Checker/W.S./Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
11. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/ orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

Varun Punase
06/08/18
(VARUN PUNASE)
OSD(DE)



राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 04/08/2018

फा. क्रमांक 1 1-88/21-ब(एक)/3597/2018, मष्टावार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एादद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1 1-88/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो म.प्र. राजपत्र भाग-एक में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 का प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुरूची में,

(एक) अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
11-ए	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजापुर	अलीराजापुर

(दो) अनुक्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
12-ए	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर

(तीन) अनुक्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
14-ए	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	बालाघाट

(चार) अनुक्रमांक 20 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
20-ए	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	हरदा

06 AUG 2018

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

OSD. *[Signature]*
[Signature]
06/08/2018
Sd/-

(पांच) अनुक्रमांक 31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
"31-ए"	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	पन्ना ।"

(छ) अनुक्रमांक 42 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
"42-ए"	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	श्योपुर ।"

(सात) अनुक्रमांक 43 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
"43-ए"	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी ।"

NOTIFICATION

F.No-1-1-88/21-B(1)/3597/2018- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F.No-1-1-88/ XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:-

Amendment

In the said Notification, in the Schedule,

(1) after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge (2)	Local area (3)
"1-A."	1 st Additional Sessions Judge, Alirazpur	Alirazpur."

(II) after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1) "2-A.	(2) 1 st Additional Sessions Judge, Anoppur	(3) Anoppur."

(III) after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1) "4-A.	(2) 1 st Additional Sessions Judge, Balaghat	(3) Balaghat "

(IV) after serial number 20, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1) "20-A	(2) 1 st Additional Sessions Judge, Harda	(3) Harda."

(V) after serial number 31, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1) "31-A.	(2) 1 st Additional Sessions Judge, Panna	(3) Panna."

(VI) after serial number 42, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1) "42-A.	(2) 1 st Additional Sessions Judge, Sheopur	(3) Sheopur."

(VII) after serial number 43, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"43-A.	1 st Additional Sessions Judge, Shivpuri	Shivpuri."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पु.क्रमांक 1-1-88/21-ब(एक)/3597/18, भोपाल, दिनांक 04/08/2018.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 457 / III 6-4-57, दिनांक 30.07.2018, के संदर्भ में.
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, हरदा, पन्ना, श्योपुर एवं शिवपुरी
5. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राजपत्र भाग-1) में प्रकाशनाथ प्रेषित,

की ओर सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने वादत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग